"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010—कार्तिक 4, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग रायपुर

रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 31/सी.एस.ई.आर.सी./2010.—विद्युत अधिनियम 2003 (36 का 2003) (एतद् पश्चात् अधिनियम) की धारा 181 (2) (जी) एवं धारा 32 (3) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अन्य अधीन शक्तियों के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की धारा 31 (2) के अधीन गठित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.)/गठित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी (सी.एस.पी.एस.ओ.सी.) द्वारा, प्रभारित एवं संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार के विनिर्दिष्ट एवं धारा 32 की उपधारा (3), के अधीन संबंधित अन्य विषयों के लिए, एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

अध्याय—1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010 कहलायेगें।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगें ।

2. प्रयोज्यता एवं उपयोगिता की सीमा

(1) ये विनियम, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू होगें, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, राज्य में विद्युत का पारेषण करने वाली उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाया व उनसे वसूला जावेगा।

(2) ये विनियम, विद्युत के एकल (Stand alone system), उत्पादकों फ्रेंचाईजी, सामूहिक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये विनियम ऐसे उत्पादकों, उत्पादन केंद्रों ओर अनुज्ञप्तिधारियों को भी लागू नहीं होंगे, जिनका विनियोजन मापन तथा ऊर्जा लेखांकन, राज्य भार प्रेषण केंद्र आदि द्वारा संयोजित नहीं किया जाता।

3. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में: –

(1) **"अधिनियम"** अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 क्र.36);

(2) **"अतिरिक्त पूंजीकरण"** अर्थात् परियोजना के व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात् किया गया अथवा करने हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्यय जिसे आयोग द्वारा परीक्षणों के उपरांत स्वीकार किया जाये;

(3) **अंकेक्षक**– अर्थात् कोई अंकेक्षक, जिसकी नियुक्ति राज्य भार प्रेषण केन्द्र/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी द्वारा की जावे तथा जो अंकेक्षक नियुक्ति की पात्रता, कम्पनी अधिनियम 1956 (1 का 1956) की धारा 224 धारा 233 B या धारा 619 या अन्य विधि जो तत्समय में प्रभावशील हो, के प्रावधानों अनुसार पूरी करता हो;

(4) **पूँजीगत व्यय**– का तात्पर्य उस पूंजी व्यय से है, जो कि विनियम 6 में दी गई परिभाषा के अनुरूप हैं;

(5) **पूँजी व्यय योजना** – (केपेक्स) का तात्पर्य पूँजीगत प्रकृति के उन व्ययों से है, जो एस.एल.डी.सी./सी.एस.पी.एस.ओ.सी के पूंजी के निर्माण हेतु नियंत्रण अवधि के दौरान व्यय किये जाने हेतु प्रस्तावित की जावे।

(6) **प्रभार**– का तात्पर्य उन आवर्ती तथा मासिक भुगतान के संकलन से है, जो कि एस.एल.डी.सी./सी.एस.पी.एस.ओ.सी द्वारा किया जावे।

(7) **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी (सी.एस.पी.एस.ओ.सी.)** का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जो अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप एस.एल.डी.सी के संचालन में रत् हो;

परंतु, जब तक कि राज्य शासन द्वारा कोई शासकीय कंपनी अथवा अन्य प्राधिकारी या निगम अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक राज्य पारेषण उपक्रम अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, एस.एल.डी.सी का संचालन करेगी।

(8) **आयोग** का तात्पर्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से है, जो कि अधिनियम की धारा 82 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित है।

(9) **अनुबंधित क्षमता** से तात्पर्य. क्षमता की उस सीमा से है, जिस तक मुक्त उपयोग (सुगम्यता) हेतु अनुबंध किये गये हो।

(10) **नियंत्रण अवधि** से तात्पर्य, तीन साल की उस अवधि से है, जिसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2011–12 से हो तथा उसका विस्तार उस सीमा तक किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग निश्चिय करे। पश्चात्‌वर्ती नियंत्रण अवधियों का निर्धारण आयोग द्वारा समय–समय पर किया जावेगा।

(11) **दिवस/दिन** से तात्पर्य 24 घण्टे की उस अवधि से है, जिसका प्रारंभ 00:00 घण्टे से हो।

(12) **"आरोपित किया गया व्यय** से तात्पर्य, वास्तव में लगाये गये धन, चाहे वह अंश पूँजी हो अथवा ऋण या दोनों हो, से है, और जो किसी उपयोगी संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु, नगद या उसके समतुल्य, अदा की गई हो, परंतु उसमें ऐसे वचन या उत्तरदायित्व सम्मिलित नहीं है, जिनके लिए कोई भुगतान न किया गया हो।

(13) **"शुल्क"** का तात्पर्य, राज्य भार प्रेषण केंद्र/सी.एस.पी.ओ.सी द्वारा स्वयं के लिये अथवा किसी अन्य खाते हेतु, संग्रहीत राशि से है, जो एक मुश्त अथवा नियत वार्षिक राशि हो सकती है, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जावे,

(14) **"राज्य के अंतर्गत क्रेता"** का तात्पर्य, उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यापारी या प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता अथवा केप्टिव विद्युत उपभोक्ता जो मुक्त उपयोग (सुगम्यता) द्वारा, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए विद्युत प्राप्त करता हो, से है, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परंतु उसके उपयोग की तालिका, ऊर्जा का मापन तथा लेखा– जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा संचालित किया जाता हो।

(15) **"राज्यांतरिक व्यक्तित्व"** का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनकी सूचीबद्धता, ऊर्जा का मापन तथा लेखा–जोखा राज्य स्तर पर किया जाता हो।

(16) **"राज्यांतरिक बाज़ार का संचालन"** के अंतर्गत तालिका बनाना, ऊर्जा का प्रेषण, मापन, ऑकडों का संग्रहण, लेखा–जोखा और व्यवस्थापन, पारेषण हानि का परिगणन तथा उसका बंटवारा, सामूहिक खाते एवं संकुलता प्रभार खाते का संचालन, संयोजित सेवाओं का प्रशासन, सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा अन्य सभी कृत्य सम्मिलित है, जो अधिनियम द्वारा, अथवा आयोग के विनियमों एवं आदेशों द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र को सौंपे गये हो।

(17) **"राज्य के अंतर्गत विक्रेता"** का तात्पर्य, केप्टिव उत्पादन केंद्र सहित सभी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी, जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र ओर/या वितरण तंत्र के द्वारा मुक्त उपयोग (सुगम्यता) के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करते हैं, और इसमें ऐसा तंत्र भी सम्मिलित है, जो उपयोग किये जाते समय अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजित हो, परंतु उसके उपयोग की तालिका, ऊर्जा का मापन तथा लेखा– जोखा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा संचालित किया जाता हो।

(18) **"राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका विद्युत संयंत्र 33 के.व्ही अथवा अधिक के वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से संयोजित हो, जैसाकि केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित किसी उत्पादन संयंत्र अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपक्रम अथवा राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या केप्टिव उपयोगकर्त्ता सहित प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता का होता है।

(19) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हैं।

(20) **"दीर्घावधि"** का तात्पर्य उस अवधि से हैं, जो 12 वर्ष या उससे अधिक हो।

(21) **"मध्यम अवधि"** का तात्पर्य उस अवधि से है, जो एक वर्ष से अधिक हो परन्तु सात वर्ष से अधिक न हो।

(22) **"राज्य संकोष खाता"** से तात्पर्य राज्य के उन खातों से है जो अनधिसूचित अन्तर्परिवर्तनों (यूआई एकाउंट) अथवा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा परिवर्तनों (रिएक्टिव एनर्जी एकाउंट) या ऐसे किन्ही अन्य खातों, जिनका संचालन आयोग के विनियमों अथवा निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता हो।

(23) **"राज्य भार प्रेषण केंद्र या एस.एल.डी.सी."** से तात्पर्य अधिनियम धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्र से है।

(24) **"राज्य तंत्र संचालन का कृत्य"** में ग्रिड संचालनों की मनिटरिंग, राज्यांतर्गत पारेषण तंत्र पर नियंत्रण तथा अधीक्षण, ग्रिड नियंत्रण हेतु वास्तविक समय संचालन और ग्रिड नियंत्रण एवं प्रेषण, ग्रिड व्यवधान के पश्चात् तंत्र का पुर्नस्थापना, तंत्र संचालन से संबंधित आंकडों का संग्रहण तथा प्रस्तुतिकरण संकुलता प्रबंध, ब्लैकस्टार्ट का समन्वय और अन्य कृत्य जो अधिनियम और/या आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा राज्यभार प्रेषण केंद्र को सौंपे जाए।

(25) **"योजना"** से तात्पर्य उन सुविधाओं और उपकरणों से है जो राज्यभार प्रेषण केंद्र से संयोजित हो अथवा उसमें स्थापित हो और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है:–

(i) कम्प्यूटर प्रणाली हाडवेयर और साफ्टवेयर।

(ii) ऑक्जिलरी विद्युत आपूर्ति तंत्र जिसमें अबाधित विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी विद्युत तंत्र भी सम्मिलित हैं।

(iii) सामान्य दूरभाष, फेक्स (दूर संचार प्रणाली) और अन्य ऑफ लाइन संचार प्रणाली ।

(iv) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे वातानुकूलक, अग्नि शामक और भवनों का निर्माण तथा नवीनीकरण।

(v) "अन्य नवीनीकरणीय योजनाएँ आरएमडी" परियोजनाएं तथा बेहतर तंत्र संचालन हेतु पाईलट परियोजनाएं (Pilot Project) जैसे सिंक्रोफेजर (Synchrophaser) तंत्र सुरक्षा योजना (System Protection System) आदि।

(vi) राज्य भार प्रेषण केंद्रों के लिए नियंत्रण केंद्रों का समर्थन करना

(vii) चौकसी करता हुआ कैमरा प्रणाली (Surveillance Camera System)। और

(viii) साईबर सुरक्षा / बचाव प्रणाली ।

(26) **"वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से हैं ।

(27) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु अधिनियम अथवा राज्य ग्रिड संहिता या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्ही अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हों, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या उस अन्य विनियम में हो, बशर्ते कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

अध्याय 2

शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया तथा राज्य प्रेषण केंद्र विकास निधि

4. शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु आवेदन

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, नियंत्रण अवधि के किए पूँजीगत व्ययों के आधार पर, और अंकेक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए गए व्यय एवं उस नियंत्रण अवधि के दौरान केपेक्स योजना में प्रस्तावित व्यय, शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, एक आवेदन उन आवश्यक विवरणों सहित, जो वार्षिक प्रभारों की गणना में सहायक हो, आयोग के समक्ष, प्रस्तुत करेगी।

(2) यह आवेदन पत्र राज्य भार प्रेषण केंद्र के, नियंत्रण अवधि के लिए बनी पूँजीगत व्यय योजना के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा निवेश के लिए कोष की उपलब्धता के स्रोतों की जानकारी भी दी जावेंगी। आयोग प्रस्तुत पूँजीगत व्यय योजना की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और उसे शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण के साथ अनुमोदित करेगा।

(3) आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व आवेदक उसकी एक–एक प्रति ऐसे प्रत्येक राज्यांतरिक व्यक्तित्व को प्रदान करेगा जो राज्य प्रभार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे है।

(4) आवेदक अपने संपूर्ण आवेदन पत्र को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अपनी वेबसाईट में प्रदर्शित करेगा और उसे वेबसाईट में तब तक बनाये रखेगा, जब तक कि आयोग द्वारा उसका निराकरण नहीं कर दिया जाता।

(5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक यह भी सूचित करेगा कि उसके आवेदन की संपूर्ण प्रतिलिपि, ऐसे सभी राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे है, उपलब्ध करा दी गई है और यह उसके वेबसाईट में भी प्रदर्शित कर दी गई है। उस वेबसाईट का पता भी साथ में दिया जावेगा।

(6) प्रस्तुत आवेदन पत्र उस व्यक्ति के शपथ पत्र द्वारा, जो इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा अधिकृत किया गया हो, जिसे उन तथ्यों की जानकारी भी है, जो आवेदन पत्र में समाहित हो।

(7) आवेदक, आयोग के निर्देश पर, आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, 7 दिनों के भीतर अपने आवेदन पत्र के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना कम से कम एक अंगेजी के और एक हिंदी के समाचार पत्रों सहित,दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, जिनका विस्तार उन क्षेत्रों में हो, जिसमें राज्यांतरिक व्यक्तित्व (intra-State entities) रहते हो। यह सूचना ऐसे प्रारूप में, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, प्रकाशित की जावेगी।

5. वार्षिक फीस एवं संचालन व्यय का समालोचन (truingup) करना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक चालू वर्ष के कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन सहित, एक आवेदन पत्र, समालोचन की प्रक्रिया करने हेतु प्रस्तुत करेगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, समालोचन हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ वर्षवार पूँजीगत व्यय, जिसमें अतिरिक्त पूँजीगत व्यय भी शामिल है, वित्त उपलब्धता के स्रोतों, मानव संसाधन पर व्यय संचालन एवं संधारण व्यय इत्यादि, जो वहन किया गया हो, तथा अंकेक्षकों द्वारा उपयुक्त रीति से अंकेक्षित एवं प्रमाणित किया गया हो, का विवरण भी प्रस्तुत करेगी।

(3) आयोग वार्षिक समालोचन का कार्य पूरा करेगा। आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत किसी वर्ष में वसूल किये गये शुल्क एवं प्रभारों का समालोचन किया जायेगा और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण पर विचार किया जावेगा।

(4) जब कभी इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों की राशि से वसूल की गई राशि समालोचन के पश्चात् अधिक पाई जावे, तब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इस तरह वसूल की गई आधिक्य की राशि को उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को वापस करेगा जिन्होंने उसका भुगतान किया हो। ऐसी वापसी करते समय, आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए जारी किये गये आदेश, का क्रियान्वयन किया जावेगा अथवा ऐसी रीति अपनाई जावेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित की जावे।

(5) जब कभी इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क एवं प्रभारों की राशि से वसूल की गई राशि समालोचन के पश्चात् कम पाई जावे तब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इस तरह कम वसूली गई राशि की भरपाई उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों से करेगी जिन्होंने उसका भुगतान किया हो। ऐसी वसूली करते समय, आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लिए जारी किये गये आदेश, का क्रियान्वयन किया जावेगा अथवा ऐसी रीति अपनाई जावेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित की जावे।

6. पूंजीगत लागत

(1) राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए पूंजीगत लागत में, नियंत्रण अवधि के दौरान वहन किया गया व्यय अथवा व्यय करने हेतु प्रस्तावित राशि, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान देय ब्याज, वित्तीय प्रभार, विदेशी विनिमयय दर परिवर्तन के लेखे कोई अन्य

अभिप्राप्तियां अथवा हानियां और केपेक्स योजना की दिशा में निर्माण के दौरान होने वाले अन्य प्रासंगिक व्यय भी सम्मिलित होगे।

परन्तु उन संपत्तियों का मूल्य जो उपयोग में नहीं हो, पूंजीगत लागत का भाग नहीं होगी।

(2) आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत प्रभारों के निर्धारण का आधार होंगी।

परंतु सावधानीपूर्वक जांच में, पूंजीगत व्यय की तर्कसंगतता का सूक्ष्म परीक्षण, वित्त प्रबंध योजना, आई.डी.सी, आई.ई.डी.सी, दक्ष तकनीकी का उपयोग, परियोजना लागत में वृद्धि, परियोजना की समयावधि में वृद्धि और ऐसे अन्य विषय, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित होंगे।

परंतु यह भी कि, प्रभारों के निर्धारण का आधार, राज्य भार प्रेषण केंद्र की लेखा पुस्तकों में, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित केपेक्स योजना के साथ, अंतरण के दिन प्रविष्ट की गई पूंजीगत लागत होगी।

7. अतिरिक्त पूंजीकरण

व्यवसायिक परिचालन के दिनांक के पश्चात् वहन किया गया अथवा वहन हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्ययों को आयोग द्वारा उ. स्वविवेक से सावधानीपूर्वक जांच के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा।

परंतु मामूली वस्तुओं अथवा संपत्ति जैसे कि, औजारों एवं साधनों, फर्नीचर, एयरकंडीशनर्स, वोल्टेज–स्टेबलाईजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, पंखे, वाशिंग मशीन्स, हीट–कंवर्टर्स, गद्दे, कारपेटस इत्यादि परिसंपत्तियों के अर्जन पर व्यवसायिक परिचालन के दिनांक के पश्चात् किया गया कोई भी व्यय, शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु, अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में विचारणीय नहीं होगा।

8. ऋण तथा अंशपूँजी का अनुपात

(1) अंतरण के दिनांक को लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट वास्तविक ऋण तथा अंश पूँजी का अनुपात राज्य भार प्रेषण केंद्र के प्रारंभिक पूँजीगत व्यय के रूप में मान्य किया जावेगा।

(2) अंतरण के दिनांक को अथवा उसके पश्चात्, किये गये किसी निवेश के लिए, यदि वास्तव में निवेशित की गई अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से अधिक हो तो वह पूँजी जो 30% से अधिक पाई जावे, मानक ऋण के रूप मान्य की जावेगी।

परंतु जहां वास्तव में निवेशित अंशपूँजी, पूँजीगत लागत के 30% से कम हो तो वह वास्तविक अंशपूँजी प्रभारों के निर्धारण हेतु मान्य की जावेगी।

परंतुक यह भी की विदेश मुद्रा में निवेशित अंशपूँजी को प्रत्येक निवेश के दिनांक पर भारतीय रूपये में अभिहित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण

यदि अंशपूँजी जारी करते समय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा प्राप्त किसी प्रीमियम, और अपने मुक्त संचित निधि में से निर्मित आंतरिक स्रोतों का निवेश, पूँजीगत व्यय की धनपूर्ति हेतु, उसके द्वारा किया जावे एवं आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राज्य भार प्रेषण केंद्र विकास निधि में से निर्मित निधियों को, पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना के उद्देश्य से, प्रदत्त पूँजी के रूप में, परिगणित किया जावेगा, बशर्ते कि पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु ऐसी प्रीमियन की राशि तथा आंतरिक स्रोतों का वास्तविक उपयोग किया गया हो।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, एक पृथक निधि, जिसे "राज्य भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि" कहा जावेगा, का निर्माण एवं संधारण करेगी।

(2) इस निधि में, अंशपूँजी पर अधिप्राप्तियों के प्रभारों, जमा पूँजी पर ब्याज, अवमूल्यन एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र के अन्य आय जैसे पूंजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, अल्पावधिक मुक्त उपयोग (सुगम्यता) प्रभार का 50%, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा राज्यांतरिक व्यक्तित्वों से तत्संबंध में वसूला जावे, इत्यादि जमा किये जावेंगे।

(3) इस निधि में जमा धन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ऋण वापसी, ब्याज के रूप में प्राप्त पूँजी और लाभांश के भुगतान के सेवार्थ, परिसंपत्तियों के निर्माण में लगीं अंशपूँजी की पूर्ति एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर अंतर की राशि (Margin money) के रूप तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के आर एंड डी परियोजनाओं को धनापूर्ति हेतु किया जावेगा।

(4) इस निधि का उपयोग किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जावेगा।

(5) इस निधि में जमा धन के उपयोग से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा बनाई गई परिसंपत्तितियों को, अंशपूँजी पर अभिप्राप्तियों एवं ऋण पर ब्याज की गणना के लिए मान्य नहीं किया जावेगा।

(6) आयोग इस निधि की स्थिति का पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष अप्रैल/मई के महीने में करेगा।

अध्याय–3

वार्षिक प्रभारों की संगणना

10. वार्षिक प्रभार

एस.एल.डी.सी. को देय वार्षिक प्रभार तंत्र संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में संग्रहीत किया जावेगा। ये वार्षिक प्रभार राज्यांतरिक मुक्त उपयोग ग्राहकों अल्पावधिक वालों को छोड़कर (Intra-State entities other than short-term open access customers) प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं पर लगाये व वसूले जावेंगे। इसके अतिरिक्त ये वार्षिक प्रभार उनसे भी संग्रहीत नहीं किये जा सकेंगे, जिन पर विनियम 2(2) के प्रावधानों के अनुसार ये विनियम लागू नहीं होते।

11. वार्षिक प्रभारों के अवयव –ये वार्षिक प्रभार निम्नलिखित अवयवों से मिलकर बनेंगे:–

(a) पूँजी पर अधिप्राप्तियां

(b) ऋण पूंजी पर ब्याज

(c) अवमूल्यन (मूल्यह्रास)

(d) मानव संसाधन से संबंधित खर्च को छोड़ कर संचालन एवं संधारण व्यय

(e) मानव संसाधन से संबंधित खर्च, प्रशासकीय व सामान्य खर्च

(f) क्रियाशील पूँजी पर ब्याज

(g) विविध प्रभार (अन्य प्रभार यदि कोई हो तो)

12. पूँजी पर अधिप्राप्तियां

(1) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, इन विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुरूप, अंश पूंजी के आधार पर, रूपयों में निर्धारित की जावेगी।

(2) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, इन विनियमों के विनियम 12(3) में दिये प्रावधानों के अनुरूप, कर–पूर्व आधार–दर (Pre tax based rate) पर अधिकतम 15.5 % की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

(3) पूँजी पर अधिप्राप्तियों की गणना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, पर लागू होने वाले नियंत्रण अवधि के किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आधार दर, उस वित्तीय वर्ष हेतु घोषित सामान्य कर दर के अनुरूप परिगणित कर, की जावेगी।

परंतु, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, पर लागू होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान, संबंधित वित्त अधिनियमों के प्रावधानों अनुरूप, कंपनी पर लगने वाले वास्तविक कर दर के अनुसार, पूंजी पर अभिप्राप्तियों को, उस नियंत्रण अवधि के अंत में, समालोचित किया जायेगा।

(4) पूंजी पर अधिप्राप्तियों को, दशमलव के तीन अंको तक (दशमलव के बाद के अंतिम अंक को उसके निकटतम पूर्णांक में दर्शाते हुए) प्रदर्शित करते हुए निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिगणित किया जावेगा:–

कर के पूर्व पूंजी पर अधिप्राप्तियों की दर = आधार दर / (1–t)

जहाँ t से तात्पर्य उपरोक्त उप खण्ड (3) के अनुसार लागू कर दर से है।

13. ऋण पूंजी पर ब्याज

(1) विनियम (8) के आधार पर निर्धारित ऋण को ब्याज की गणना हेतु, सकल मानक ऋण माना जावेगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष सकल मानक ऋण का परिगणन, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक किये गये ऋण वापसी के

उस सकल योग जिसे आयोग ने मान्य किया हो, और सकल मानक ऋण, के अंतर से किया जायेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष का पुर्नभुगतान उस वर्ष के लिए स्वीकार्य अवमूल्यन(मूल्यह्रास) के बराबर माना जावेगा।

(4) वास्तविक ऋण पोटफोलिओं (Portfolio) के आधार पर परिगणित भारित औसत ब्याज दर ही वह ब्याज दर होगी, जो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में राज्य भार प्रेषण केंद्र/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, कंपनी पर लागू होगी।

परंतु यदि किसी वर्ष विशेष के लिए ऋण नहीं लिया गया हो, लेकिन यदि मानक ऋण बकाया हो, तो ब्याज को उपलब्ध अंतिम भारित औसत दर (Weight average rate)पर माना जावेगा।

(5) ऋणों पर ब्याज की गणना, उस वर्ष के मानक ऋण पर, भारित औसत ब्याज दर के आधार पर, की जावेगी।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, ऋण की पुर्न प्राप्ति के लिए उस सीमा तक हर संभव प्रयास करेगी कि इसका परिणाम ब्याज में शुद्ध बचत के रूप में हो, और उस परिस्थिति में ऋण की पुर्न प्राप्ति से संबंधित समस्त व्यय, राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रताओं द्वारा वहन किये जावेंगे तथा शुद्ध वचत को राज्यांतरिक क्रेताओं सहित विक्रताओं और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी के मध्य, जैसा भी मामला हो, 1:1 के अनुपात में बांटा जावेगा। यह प्रावधान केवल उन्हीं राज्यांतरिक व्यक्तित्वों पर लागू होगा जो राज्य भार प्रेषण केंद्र से दीर्घावधिक सेवाएं ले रहे हो।

(7) ऋण की शर्तों एवं निबंधनों में परिवर्तन पुनः ऋण प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी होंगे।

(8) किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में पक्षकारों, में से कोई भी पक्षकार समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्यसंचालन विनियम)) 2009 एवं अन्य विधि विधानों के अनुसार विवाद के निराकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

परंतु, ऋण की पुर्न प्राप्ति से उत्पन्न किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान राज्यांतरिक व्यक्तित्व, राज्यांतरिक क्रेताओं, विक्रताओं और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, द्वारा मांगे गये ब्याज के किसी भुगतान को नहीं रोकेगा।

14. अवमूल्यन (मूल्यह्रास)

(1) मूल्यह्रास की गणना हेतु आधार मूल्य, परिसंपत्तियों की वह पूंजी लागत होगी, जो आयोग द्वारा मानी गई हो।

(2) किसी परिसंम्पति (आई टी से संबंधित उपकरण व साफ्टवेयर को छोड़ कर) का नाम–शेष मूल्य (Salvage value) उस संपत्ति के पूंजी लागत का 10% मान्य किया जावेगा और मूल्यह्रास अधिकतम 90% तक किये जाने की अनुमति होगी। आई.टी. उपकरण व साफ्टवेयर का नाम–शेष मूल्य (Salvage value) शून्य मानते हुए इनके लिए परिसम्पति के पूंजी मूल्य के 100 प्रतिशत का मूल्यह्रास मान्य होगा।

(3) भूमि को अवमूल्यनीय परिसम्पत्ति नहीं माना जावेगा तथा संपत्ति के मूल्यह्रास की गणना करते समय भूमि का मूल्य उस संपत्ति के पूंजी मूल्य से कम कर दिया जावेगा।

(4) राज्य भार प्रेषण केंद्र की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की गणना वार्षिक रूप से सरल रेखीय विधि (Straight Line Method) और इन विनियमों के परिशिष्ट एक में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर की जावेगी। केंद्रीय आयोग द्वारा समय पर निर्धारित मूल्यह्रास दर को मान्य किया जावेगा।

(5) पूर्ण रूप से अवमूल्यित की गई परिसम्पत्तियों को अलग से दर्शित किया जावेगा।

(6) ऐसी परिसम्पत्तियां, जो उपयोग में नहीं हैं, या, जो अप्रचलित घोषित कर दी गई हो, उन्हें मूल्यह्रास की गणना हेतु पूँजी लागत से पृथक कर दिया जावेगा।

(7) स्थानांतरण दिवस पर मूल्यह्रास के उपरांत अवशेष मूल्य की गणना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, के लेखा पुस्तिका में राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए दर्शाई गई परिसंपत्तियों के सकल अवमूल्यन में से दर्शित कुल मूल्य ह्रासीय मूल्य (Gross depreciable value)में से मूल्यह्रासित मूल्य (Cumulative value) घटा कर की जावेगी।

15. संचालन व संधारण व्यय (मानव संसाधन व्यय को छोड़ कर)

(1) वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक के अंकेक्षित/अनंकेक्षित तुलन पत्र (बैलेस शीट) के आधार पर, उन वर्षो का वास्तविक संचालन एवं संधारण व्यय ज्ञात कर, उनके आधार पर, नियंत्रण अवधि के वर्षो का संचालन एवं संधारण व्यय, (मानव संसाधन व्यय को छोड़ कर) निकाला जावेगा। आयोग सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत असामान्य संचालन एवं संधारण व्ययों, दान, भण्डार–हानि, पूर्व अवधि के समायोजन, अपलेखित किये हुए दावे एवं अग्रिम, प्रावधान इत्यादि यदि कोई हो, तो उन्हें छोड़कर यथोचित (सामान्य) संचालन एवं संधारण व्यय ज्ञात करेगा।

(2) सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत निकाले गये उपरोक्त 2005–06 से 2009–10 तक के सामान्य संचालन एवं संधारण व्यय, आधार–वर्ष 2010–11 के लिए संचालन एवं संधारण व्यय का आधार बनेंगे। आधार वर्ष के ये सामान्य संचालन एवं संधारण व्यय, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के व्ययों को, प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लाये जावेगे।

(3) नियंत्रण अवधि के दौरान, आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के, स्वीकार्य संचालन एवं संधारण व्यय, वर्ष 2010–11 के संचालन व सधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाते हुए ज्ञात किये जावेंगे।

(4) पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधियों के लिए संचालन एवं संधारण व्ययों को उपरोक्त विनिर्दिष्ट सिद्धांतों एवं विधि का प्रयोग करते हुए परिगणित किया जावेगा।

16. मानव संसाधन व्यय

(1) वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक के अंकेक्षित/अनंकेक्षित तुलन पत्र (बैलेस शीट) के आधार पर, उन वर्षो का वास्तविक मानव संसाधन व्यय ज्ञात कर, उनके आधार पर, नियंत्रण अवधि के वर्षो का मानव संसाधन व्यय निकाला जावेगा। आयोग

सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत असामान्य मानव संसाधन व्ययों, अनुग्रह राशि अदायगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना व्यय, पूर्व अवधि के समायोजन, अपलेखित किये हुए दावे एवं अग्रिम, प्रावधान इत्यादि यदि कोई हो, तो उन्हें छोड़कर यथोचित (सामान्य) मानव संसाधन व्यय व्यय ज्ञात करेगा।

(2) सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत निकाले गये उपरोक्त 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक के सामान्य मानव संसाधन व्यय, आधार–वर्ष 2010–11 के लिए मानव संसाधन व्यय का आधार बनेंगे। पारिश्रमिक का पुनरीक्षण करने का प्रावधान यदि कोई हो तो, उसे भी आधार वर्ष 2010–11 के मानव संसाधन व्यय ज्ञात करने हेतु ध्यान में रखा जावेगा। ये सामान्य मानव संसाधन व्यय, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के व्ययों को, प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लाये जावेगे।

(3) नियंत्रण अवधि के दौरान, आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के, स्वीकार्य मानव संसाधन व्यय, वर्ष 2010–11 के मानव संसाधन व्ययों को 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाते हुए ज्ञात किये जावेंगे।

परंतु, यह कि वर्ष 2011–12 के लिए मानव संसाधन व्यय निर्धारित करते समय कर्मचारी व्यय में वेतन पुनरीक्षण के लेखे होने वाली समुचित वृद्धि को ध्यान में रखकर उसे पुनः युक्तिसंगत बनाया जावेगा।

(4) पश्चात्वर्ती नियंत्रण अवधियों के लिए मानव संसाधन व्ययों को उपरोक्त विनिर्दिष्ट सिद्धांतों एवं विधि का प्रयोग करते हुए परिगणित किया जावेगा।

17. क्रियाशील पूंजी पर ब्याज

(1) क्रियाशील पूँजी में:–

(i) एक माह का संचालन एवं संधारण खर्च, मानव संसाधन खर्च को छोड़कर;

(ii) एक माह का मानव संसाधन खर्च; तथा

(iii) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित तंत्र संचालन प्रभार एवं बाजार संचालन प्रभार के रूप में दो माह की प्राप्तियों के बराबर राशि; आयेगी

(2) क्रियाशील पूंजी पर ब्याज दर मानक आधार पर होगी और यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अल्पावधिक ऋणों हेतु घोषित, प्रधान ब्याज दर, के बराबर होगी।

(3) इस बात के होते हुए भी कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी ने क्रियाशील पूंजी हेतु किसी बाहरी संस्थान से ऋण न लिया हो, क्रियाशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा।

अध्याय–4

शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण (लेव्ही) तथा संग्रहण

18. संग्रहण

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, इन विनियमों के अधीन निर्धारित किये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार संग्रहीत करेगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ताओं (प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्त्ताओ को छोड़कर) उपयोगकर्त्ता पर पंजीयन शुल्क का उद्ग्रहण कर उसका संग्रहण करेगी और राज्यांतरिक क्रेता, राज्यांतरिक विक्रेता और राज्यांतरिक व्यक्तित्वों जैसा की इन विनियमों विनिर्दिष्ट हो, पर प्रभार का उद्ग्रहण कर उसे संग्रहीत कर सकेगी। पंजीयन शुल्क उन से का उद्ग्रहण व उनसे संग्रहीत नहीं किया जावेगा जिन्हें ये विनियम 2(2) के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं होते।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कम्पनी, राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता राज्यांतरिक व्यक्तित्वों, राज्यांतरिक क्रेताओं, राज्यांतरिक विक्रेताओं पर उन्हें कंपनी द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं एवं विद्युत–विनिमयों (Power Exchange) जैसाकि किन्हीं अन्य विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, के लिए शुल्क एवं प्रभार आरोपित करने तथा उनका संग्रहण करने हेतु सक्षम होगी।

19. तंत्र संचालन एवं बाजार संचालन कृत्यों के लिए वार्षिक प्रभारों के तत्वों का आबंटन तथा विभाजन

(1) राज्य तंत्र संचालन कृत्य के मद में वार्षिक प्रभार हेतु देय वार्षिक प्रभारों की 80 प्रतिशत राशि सम्मिलित होगी।

(2) राज्यांतरिक बाजार संचालन कृत्य के मद में वार्षिक प्रभार हेतु देय वार्षिक प्रभारों की 20 प्रतिशत राशि सम्मिलित होगी।

(3) वार्षिक प्रभारों का तंत्र संचालन प्रभारों एवं बाजार संचालन प्रभारों में आबंटन का अनुपात, आयोग द्वारा, समय–समय पर पुनर्विलोकित एवं निर्धारित किया जावेगा।

20. तंत्र संचालन प्रभारों (एस.ओ.सी) तथा बाज़ार संचालन प्रभारों (एम.ओ.सी.) का निर्धारण

इन विनियमों के विनियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट तंत्र संचालन प्रभारों एवं बाजार संचालन प्रभारों का निर्धारण, वार्षिक प्रभारों के आबंटित और/या विभाजित विभिन्न अवयवों का, योग कर किया जावेगा।

21. तंत्र संचालन प्रभारों का संग्रहण

(1) तंत्र संचालन प्रभारों का संग्रहण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जावेगा:–

(i) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज़्य पारेषण उपक्रम से ईतर): तंत्र संचालन प्रभारों का 10 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत

(iii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 45 प्रतिशत

परंतु, यह कि, यदि राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर) राज्य भार प्रेषण केंद्र की सेवाएं नहीं ले रहा हो तो, ऐसी दशा में तंत्र संचालन प्रभार राज्यांतरिक क्रेताओं तथा विक्रताओं से निम्नलिखित मानकों के अनुसार संग्रहीत किया जावेगा:–

(i) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।

(ii) राज्यांतरिक क्रेता (प्रचुर मात्रा में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को छोड़कर) तंत्र संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत।

(2) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम से ईतर): पर भारित किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार, देयक के महीने के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन उनके स्वामित्व की विद्युत लाईन के सर्किट प्रति किलोमीटर के आधार पर उद्ग्रहित किया जायेगा।

(3) राज्यांतरिक विक्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।

(4) राज्यांतरिक क्रेताओं से संग्रहीत किया जाने वाला तंत्र संचालन प्रभार उनके द्वारा राज्य पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु अनुबंधित क्षमता के अनुपात में लिया जायेगा।

नोट– उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को भी लागू नहीं होंगे, जो अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत की मात्रा का अर्जन या विक्रय करते हो।

22. बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण – बाज़ार संचालन प्रभारों का संग्रहण सभी राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं राज्यांतरिक क्रेताओं से समान रूप से किया जावेगा, भले ही उनकी अनुबंधित क्षमता कुछ भी हो।

नोट– उपरोक्त प्रावधान नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों, प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्त्ताओं को लागू नहीं होंगे। ये प्रभार उन अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को भी लागू नहीं होंगे, जो केवल अल्पावधिक मुक्त उपयोग मार्ग से विद्युत का अर्जन या विक्रय करते हो। परंतु यदि राज्यांतरिक विक्रेता कोई उत्पादन कंपनी हो तो, उसे उत्पादन केंद्रवार प्रभारों का भुगतान करना होगा।

23.(1) अन्य सभी मुक्त उपयोग ग्राहकों (राज्यांतरिक क्रेता एवं राज्यांतरिक विक्रेता), जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, के लिए शुल्क एवं प्रभार वहीं होंगे, जो केंद्रीय आयोग

द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जावे। (अर्थात उन राज्यांतरिक व्यक्तित्वों के लिए जो अल्पावधिक अंतर्राज्यीय मुक्त उपयोग की सुविधा लेते है)

(2) ऐसे प्रभारों का, जो अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से संग्रहीत किये जावे, 50% राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अपने पास रखा जावेगा और उसे राज्य भार प्रेषण विकास निधि में जमा किया जावेगा। अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से अर्जित राजस्व के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा एक पृथक खाता संधारित किया जावेगा। शेष 50% राशि का समायोजन उन प्रभारों हेतु किया जावेगा, जो राज्यांतरिक क्रेताओं, राज्यांतरिक विक्रेताओं एवं राज्यांतरिक व्यक्तित्वों द्वारा राज्य प्रेषण केंद्र की दीर्घावधिक सेवाओं हेतु दिया जाता है।

24. पंजीयन शुल्क

(1) सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता (प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं तथा केप्टिव उपयोगकर्त्ता को छोड़कर), जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र से संयोजित होना चाहते हो, उन्हें, इन विनियमों के परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन कर, राज्य भार प्रेषण केंद्र में स्वयं को पंजीबद्ध कराना होगा।

(2) विद्युत उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित) का पंजीयन हेतु आवेदन, 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए रू.10 लाख अथवा यदि स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम हो तो रू. 5 लाख के शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

परंतु, नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को राज्य भार प्रेषण केंद्र में पंजीकृत करने हेतु रू. 2 लाख का शुल्क अदा करेगी। (चाहे स्थापित क्षमता कुछ भी क्यों न हो) ऐसी कंपनियों को, उनके संयंत्रों का नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन केंद्र होने संबंधी विहित प्रमाण पत्र, जो राज्य की नोडल एजेंसी अर्थात छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जारी किया गया हो, जमा करना होगा।

(3) उन अनुज्ञप्तिधारियों और राज्यांतरिक व्यक्तित्वों, जो राज्य भार प्रेषण केंद्र की सेवाएं प्राप्त करते हो, के लिए शुल्क रू. 10 लाख होगा। विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों और राज्यांतरिक व्यक्तित्वों को यह पंजीयन शुल्क, इन विनियमों के लागू होने से, दो माह के भीतर पटाना होगा।

(4) विद्यमान विद्युत उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित) को, जो राज्यांतरिक पारेषण तंत्र या वितरण तंत्र संयोजित हो, दो माह के भीतर राज्य भार प्रेषण केंद्र को पंजीयन हेतु आवेदन, इन विनियमों के लागू होने के दो माह के भीतर देना होगा तथा यह आवेदन 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए रू.10 लाख अथवा यदि स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम हो तो रू. 5 लाख के शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(5) विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों को अपने विद्युत उत्पादन केंद्रों का पंजीयन, इन विनियमों के लागू होने के दो माह के भीतर रू. दो लाख (चाहे स्थापित क्षमता कुछ भी क्यों न हो) का शुल्क पटा कर राज्य भार प्रेषण केन्द्र में कराना होगा। उन्हें क्रेडा द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन केंद्र होने का नवीनतम प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(6) यदि विद्यमान राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ताओं अथवा राज्यांतरिक व्यक्तित्वों अथवा विद्युत उत्पादन केंद्रों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रों सहित), अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा पंजीयन शुल्क पटाने में चूक की जाती है तो राज्य भार प्रेषण केंद्र इस संबंध में आयोग से संपर्क कर सकेगा।

(7) राज्य भार प्रेषण केंद्र, आवेदन की छान–बीन करने के उपरांत, यदि उसमें दी गई जानकारियों की सत्यता से संतुष्ट हो तो, वह अपनी पंजी में आवेदक को विधिवत् पंजीबद्ध करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को देगा।

(8) पंजीयन शुल्क अदा करने के पश्चात् वापसी योग्य नहीं होगा। यदि कोई उत्पादन कंपनी, जो 50 मेगावाट क्षमता से कम की हो अपनी क्षमता बढ़ाकर 50 मेगावाट या उससे अधिक करती है तो उसे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि रू. 5 लाख जमा करानी होगी।

(9) राज्य भार प्रेषण केंद्र पंजीकृत राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ता की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत में राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और वितरण तंत्र से संयोजित एवं उसके द्वारा जिन्हें सेवाएं प्रदान की जा रही हो अथवा उनका अनुशीलन (मॉनीटरिंग) किया जा रहा हो, ऐसे सभी विद्युत उत्पादन केंद्रों/अनुज्ञप्तिधारियों की संग्रहीत जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(10) राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा पंजीकरण अथवा नवीनीकरण का कोई आवेदन, अनुबंधित/स्थापित क्षमता में वृद्धि/कमी की दशा में अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो वह इसकी सूचना, ऐसे आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उसके कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदक को प्रदान करेगा।

नोट– सभी राज्यांतरिक उपयोगकर्त्ताओं (प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले उपभोक्ता एवं केप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) का राज्य भार प्रेषण केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित सभी अनुज्ञप्तिधारी और अन्य राज्यांतरिक व्यक्तित्व सम्मिलित होंगे।

अध्याय 5

देयक बनाना तथा अन्य विविध प्रावधान

25. देयक बनाना एवं प्रभारों का भुगतान

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तंत्र संचालन प्रभारों तथा बाजार संचालन प्रभारों के लिए मासिक आधार पर देयक तैयार करेगी और संबंधित राज्यांतरिक व्यक्तित्वों द्वारा उसका भुगतान सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तंत्र संचालन कंपनी को किया जावेगा।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्कों एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार की जाने वाली चूक आयोग के ध्यान में लाई जावेगी।

26. देर से भुगतान के कारण अधिभार

इन विनियम के अधीन देय किसी देयक का भुगतान यदि किसी राजयांतरिक व्यक्तित्व द्वारा देयक के दिनांक से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता तो उस पर 1.25% प्रति माह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार भी प्रभावित किया जावेगा।

27. छूट (Rebate)

लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जावेगी।

28. शिथलीकरण का अधिकार

आयोग द्वारा स्वयं होकर या किसी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर, प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का तर्क संगत मौका दे कर, उन कारणों को अभिलेखित करते हुए इस विनियम के किसी प्रावधान को शिथिल किया जा सकेगा।

29. व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी, जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूउपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को अपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध में फेरबदल करती है और विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखित किए गये कारणों में किसी ऐसे मामले के वर्ग के संव्यवहार के लिए यदि आयोग आवश्यक या समीचीन समझता हो।

(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी विषय से संबंधित या किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे विषय, शक्ति तथा कृत्य का ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे कार्यवाही करेगा।

नोटः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

परिशिष्ट-**I**

मूल्यह्रास/अवमूल्यन सूचीं

क्र.	संपत्ति का विवरण	मूल्यह्रास की दर
		SLM
ए	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	0.00%
बी	पट्टे पर धारित भूमि	
ए	भूमि हेतु निवेश	3.34%
बी	स्थान के सफाई की लागत हेतु	3.34%
सी	**अन्य संपत्तियां**	
ए	भवन और सिविल यांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं आवासीय	1.63%
(ii)	संयंत्र एवं उपकरणों का समावेश	3.34%
(iii)	लकड़ी के ढाँचे इत्यादि अस्थाई रूप से खड़े करना	3.34%
(iv)	कच्चे मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग	100.00%
(v)	अन्य	1.63%
बी	ट्रांसफार्मर, कियोस्क, उपकेंद्र के उपकरण और अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र के प्रतिष्ठापन सहित)	
(i)	उन प्रतिष्ठापनों सहित, जिनकी रेटिंग 100 के.व्ही या उससे अधिक हो, ट्रांसफार्मरस	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
सी	केबल संयोजनों सहित स्विच गियर	5.28%
डी	प्रकाश अवशोषक	
(i)	केंद्र की भांति	5.28%
(ii)	खम्भे की भांति	5.28%
(iii)	समरूप संघनक	5.28%
ई	बैटरीज़	5.28%
(i)	संलग्न बाक्सों तथा विच्छेदित बक्सों सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल नलिका प्रणाली	3.34%
एफ	केबल आधार प्रणाली सहित शिरोपरि लाईने	
(i)	फ्रेबिकेटेड स्टील पर ऐसी लाईने, जो सिरों पर 66 के. व्ही से अधिक के वोल्टेज, संचालित करें	3.34%
(ii)	स्टील के खंभों पर ऐसी लाईने जो सिरों पर 13.2 के. व्ही से अधिक परंतु 66 के.व्ही तक सीमित वोल्टेज संचालित करे	5.28%

(iii)	लौहयुक्त सीमेंट गिट्टी के आधार पर स्थापित स्टील पर लाईने	5.28%
(iv)	उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाईने	5.28%
जी	मीटर	5.28%
एच	स्वचालित वाहन	9.50%
आई	वातानुकूलन संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	संवहनीय	9.50%
जे(i)	कार्यालय के साज सामान तथा उपस्कर	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	पुर्जो एवं उपकरणों सहित अंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	सड़क बत्ती के पुर्जे	5.28%
के	किराये पर उठाये गये उपकरण	
(i)	मोटरों के अतिरिक्त अन्य	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
एल	संचार उपकरण	6.33%
(i)	रेडियो और उच्च आवर्ती परिवहन प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाईने एवं दूरभाष	6.33%
एम	आई.टी. उपकरण	15.00%
एन	साफ्टवेयर	30.00%
ओ	अन्य संपत्तियां जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो	5.28%

परिशिष्ट-II
(विनियम 24 के परिपालन में)

1. व्यक्तित्व का नाम (बड़े अक्षरों में):
2. पंजीकृत कार्यालय का पताः
3. वह क्षेत्र जिसके लिए पंजीयन वांछित होः
4. राज्यांतरिक उपयोगकृर्त्ता की श्रेणीः
   (i) उत्पादन केंद्र
   (ii) केप्टिव उत्पादन संयंत्र
   (iii) नवीनकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र
   (iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी
   (v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
5. राज्यांतरिक उपभोगकर्त्ता का विवरण (विद्यमान उपयोगकर्त्ता के लिए विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान और पश्चातवर्ती समनुदेश हेतु, यदि कोई हो तो):
   i. श्रेणी– उत्पादन केंद्र / नवीनकरणीय स्रोतों वाला उत्पादन संयंत्र / केप्टिव उत्पादन संयंत्र
   ए. कुल स्थापित क्षमता
   बी. राज्यांतरिक पारेषण के उपयोग हेतु अधिकतम अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में)
   सी. राज्य ग्रिड से अंतर संयोजन का उद्देश्य (कृपया समुचित विकल्प लिखे)
   (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक).
   (ii) केप्टिव उपयोग हेतु आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)
   (iii) प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)
   (iv) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्यों को आपूर्ति (दीर्घावधिक अथवा मध्यम अवधि अथवा अल्पावधिक)

   डी. राज्यांतरिक पारेषण तंत्र से संयोजन का विवरणः

क्र.	(i) अतिउच्चदाब उपकेंद्र का नाम	(ii) वोल्टेज स्तर (कि.वो में)	(iii) क्या विशेष ऊर्जा मापक (प्रमुख)इस स्थान पर स्थापित किया गया है

ii. श्रेणी – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्यांतरिक)

ए. उपकेंद्र:

क्र.	उपकेंद्र का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या	स्विचिंग केंद्र की दशा में कुल योजित प्रबंध क्षमता (एम.व्ही.ए)

बी..पारेषण लाईन:

क्र.	वोल्टेज स्तर (कि. वो में)	पारेषण लाईनों की संख्या	कुल सर्किट किलोमीटर

6. राज्य भार प्रेषण केंद्र से संबंधित मामलों हेतु संपर्क करने योग्य व्यक्ति

i. नाम:

ii. पदनाम:

iii. दूरभाष क्र.:

iv. मोबाईल न.:

v. ई मेल का पता:

vi. डाक का पता:

उपरोक्त जानकारियां मेरे ज्ञान व विश्वास में सही है

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

नाम :

पदनाम :

दूरभाष क्र.:

Raipur, the 26th October 2010

NOTIFICATION

No. 31/CSERC/2010-In exercise of powers conferred under section 181(2)(g) and section 32(3) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) hereinafter Act , the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, to specify the fee & charges to be levied and collected by State Load Despatch Centre (SLDC) / Chhattisgarh State Power System Operation Company (CSPSOC) which may be formed under section 31(2) of the Act and other matters related to sub section (3) of section 32 of the Act, namely:-

CHAPTER - 1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the "Chhattisgarh Rajpatra".

2. Scope and extent of application:

(1) These regulations shall be applicable for determination of the fees and charges of, which may be levied and collected by the SLDC from the generating companies and licensees engaged in intrastate transmission of electricity.

(2) These Regulations will not apply to stand-alone generators, franchisees, bulk consumers, captive users. This regulation shall also not applicable to such generators and generating stations and licensees whose scheduling metering and energy accounting is not co-ordinated by SLDC, etc.

3. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(1) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) **'Additional Capitalization'** means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check;

(3) **'Auditor'** means an auditor appointed by the SLDC / CSPSOC, qualified for appointment as an auditor in accordance with the provisions of sections 224, or section 233B or section 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any other law for the time being in force;

(4) **'Capital cost'** means the capital cost as defined in regulation 6 of these regulations;

(5) **'Capital expenditure (CAPEX) plan'** means the expenditure of capital nature planned to be incurred during control period for creation of the assets of the SLDC / CSPSOC;

(6) **'Charges'** means recurring and monthly payments to be collected by SLDC / CSPSOC;

(7) **'Chhattisgarh State Power System Operation Company (CSPSOC)'** means a company engaged in the operation of the SLDC in accordance with sub section (2) Section 31 of the Act;

Provided that until the Government company or any authority or corporation is notified by the State Government, the State Transmission Utility i.e. Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. (CSPTCL) shall operate the SLDC;

(8) **'Commission'** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(9) **'Contracted capacity'** means the capacity contracted for open access;

(10) **'Control period'** means a period of three years starting from financial year 2011-12 and can be extended to a period as decided by the Commission. Further the subsequent control period(s) shall be as decided by the Commission from time to time.

(11) **'Day'** means the 24 hour period starting at 00:00 hour;

(12) **'Expenditure incurred'** means the fund, whether the equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments and the liabilities for which no payment has been made;

(13) **'Fees'** means the one-time or annual fixed payments collected by the SLDC/ CSPSOC on its behalf or any other account as specified by the Commission from time to time;

(14) **'Intra-State buyer'** means a distribution licensee or electricity trader or bulk consumer or captive user receiving power through open access by using intra-State transmission system and / or distribution system including such system when it is used in conjunction with inter-State transmission system and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the SLDC .

(15) **'Intra-State entity'** means such persons whose scheduling, metering and energy accounting is done at the State level;

(16) **'Intra-State market operation function'** includes functions of scheduling, despatch, metering, data collection, energy accounting and settlement, transmission loss calculation and apportionment, operation of pool account and congestion charge account, administering ancillary services, information dissemination and any other functions assigned to the SLDC by the Act or by Commission's Regulations and orders;

(17) **'Intra-State seller'** means a generating station including captive generating plant or distribution licensee or electricity trader supplying power through open access by using intra-State transmission system and/or distribution system including such system when it is used in conjunction with inter-State transmission system and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by SLDC.

(18) **'Intra-State user'** means a person whose electrical plant is connected to the State grid at voltage level of 33 KV and above such as a generating company including captive generating plant or transmission licensee (other than CTU and STU) or distribution licensee or bulk consumer including captive user.

(19) **'Licensee'** means a person granted a licence under Section 14 of the Act;

(20) **"Long-term"** means a period of 12 years and above;

(21) **"Medium-term"** means a period up to 7 years but exceeding 1 year;

(22) **'State pool account'** means State accounts for payments regarding Unscheduled Interchanges (UI Account) or Reactive Energy Exchanges (Reactive Energy Account) or any other such Accounts which may be operated by SLDC from time to time as per the Regulations or directions of the Commission;

(23) **'State Load Despatch Centre' or 'SLDC'** means the centre established under subsection (1) of section 31 of the Act;

(24) **'State system operation function'** includes monitoring of grid operations, supervision and control over the intra-State Transmission System, real-time operations for grid control and dispatch, system restoration following grid disturbances, compiling and furnishing data pertaining to system operation, congestion management, black start coordination and any other function(s) assigned to the SLDC by the Act and / or by the Commission's regulations and / or orders;

(25) **'Scheme'** means the facilities and equipments associated with and installed at the SLDC and also includes but not limited to the following, namely:-

(i) computer systems, hardware and software,

(ii) auxiliary power supply system comprising Uninterrupted Power Supply, Diesel Generating Set(s) and DC power system,

(iii) general telephone, fax and other off line communication system,

(iv) other infrastructure facilities, such as air-conditioning, fire-fighting and construction and renovation of buildings,

(v) any innovative schemes R & D projects and pilot projects for better system operation, such as Synchrophasors, System Protection Scheme,

(vi) Back-up control centers for SLDC,

(vii) Surveillance Camera System, and

(viii) Cyber Security System;

(26) **'Year'** means a financial year;

(27) The words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or the State Grid Code or any other regulations specified by the Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meaning assigned to them under the act or the State Grid Code or any other regulation specified by the Commission as the case may be.

CHAPTER – 2

APPLICATION AND PROCEDURE FOR DETERMINATION OF FEES AND CHARGES AND SLDC DEVELOPMENT FUND

4. Application for determination of fees and charges:

(1) The CSPSOC shall make an application to the Commission in the formats approved by the Commission, for determination of fees and charges for the control period, based on capital expenditure incurred and duly certified by the

auditors and projected to be incurred during the control period based on the CAPEX plan, along with the other details required to compute the annual charges.

(2) The application shall be accompanied by CAPEX plan of SLDC for the control period indicating inter-alia, the sources of funds availability for investment. The Commission shall carryout prudence check of the CAPEX Plan and approve the same along with the determination of the fees and charges.

(3) Before making the application, the applicant shall serve a copy of the application on each intra-State entity availing long-term services of SLDC.

(4) The applicant shall upload complete application on its website, before making the application to the Commission and shall keep it in the website till its disposal by the Commission.

(5) While making the application, the applicant shall indicate whether copy of the complete application has been served on intra-State entities availing long-term service of SLDC and whether the application has been uploaded on its website, with address of the website whereon the application has been up loaded.

(6) The application made shall be supported by affidavit of the person who is authorized by the CSPSOC and acquainted with the facts stated in the application.

(7) The applicant shall, within 7 days after making the application, on directives of the Commission publish a notice of the application in at least two daily newspapers, one in English language and one in Hindi language, having circulation where the intra-State entities are situated, in the formats approved by the Commission.

5. Truing up of annual fees and operating charges:

(1) The CSPSOC shall make an application, in the formats approved by the Commission for carrying out truing up exercise by 31st October of the ensuing year along with the annual performance review of the current year.

(2) The CSPSOC along with the application for truing up shall also submit details of year wise capital expenditure including additional capital expenditure, sources of financing, human resource expenditure, operation and maintenance expenditure, etc incurred, duly audited and certified by the auditors.

(3) The Commission shall carry out annual truing up exercise. The fees and charges recovered for a year shall be trued up and considered for determination of fees and charges for the next year, by the Commission after prudence check.

(4) Where after the truing up the fee & charges recovered exceeds the amount approved by the Commission under these regulations, the CSPSOC shall refund to the intra-State entities who pay the annual charges, as the case may be, the excess amount so recovered in implementing the order issued for fees and charges through annual charges for the next year or as decided by the Commission.

(5) Where after the truing up the fee and charges recovered is less than the approved by the Commission under these regulations CSPSOC shall recover from the intra-State entities who pay the annual charges, as the case may be, the under-recovered amount in implementing the order issued for fees and charges through annual charges for the next year or as decided by the Commission.

6. Capital Cost:

(1) Capital cost for SLDC shall include the expenditure incurred or projected to be incurred during the control period, including Interest during Construction (IDC) financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV) during construction, and Incidental Expenditure during Construction (IEDC) in line with the CAPEX plan;

Provided that the value of the assets not in use shall not form part of capital cost.

(2) The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of charges:

Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, IDC, IEDC, use of efficient technology, cost over-run, time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission.

Provided further that the capital cost appearing in the books of accounts of SLDC as on the date of transfer along with the approved CAPEX plan for the control period shall be the basis for determination of charges.

7. Additional Capitalization:

The capital expenditure incurred or projected to be incurred after the date of commercial operation may, in its discretion, be admitted by the Commission, subject to prudence check:

Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets like tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets etc. brought after the date of commercial operation shall not be considered for additional capitalization for determination of fees and charges.

8. Debt-Equity Ratio:

(1) The actual debt: equity ratio appearing in the books of accounts as on the date of transfer shall be considered for the opening capital cost of SLDC.

(2) For an investment made on or after the date of transfer, if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of charges:

Provided further that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

Explanation- The premium, if any, raised by the CSPSOC while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the capital expenditure, and funds created out of the SLDC Development Fund as approved by the Commission shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure.

9. SLDC Development Fund:

(1) The CSPSOC shall create and maintain a separate fund called 'SLDC Development Fund'.

(2) The charges on account of return on equity, interest on deposit, depreciation and charges on account of other income of the SLDC such as registration fee, application fee, fifty percent of the short-term open access charges recovered

by SLDC from intra-State entities availing short-term open access, etc shall be deposited to the SLDC development fund.

(3) The CSPSOC shall be entitled to utilize the money deposited to the SLDC development fund for loan repayment, servicing the capital raised in the form of interest and dividend payment, meeting stipulated equity portion in asset creation and margin money for raising loan from the financial institutions and funding R & D projects of SLDC, after due approval of the Commission.

(4) The SLDC development fund shall not be utilized for any other revenue expenditure.

(5) Any asset created by the CSPSOC out of the money deposited to the SLDC development fund shall not be considered for computation of return on equity and interest on loan.

(6) The Commission shall review the position of SLDC development fund in the month of April / May every year.

CHAPTER – 3

COMPUTATION OF ANNUAL CHARGES

10. Annual charges: Annual charges of SLDC shall be collected in the form of system operation charges and market operation charges. The annual charges shall be levied and collected only from the intra-State entities other than short-term open access customers, bulk consumers and captive users. Also the annual charges shall not be collected from those to whom these regulations do not apply as per regulations 2(2).

11. Components of annual charges: The annual charges shall consist of the following components, namely:-

(a) Return on equity;

(b) Interest on loan capital;

(c) Depreciation;

(d) Operation and maintenance expenses excluding human resource expenses;

(e) Human resource expenses, A & G expenses; and

(f) Interest on working capital;

(g) Miscellaneous charges (other charges, if any)

12. Return on equity:

(1) Return on equity shall be computed in Rupee term on equity base determined in accordance with Regulation 8 of these regulations.

(2) Return on equity shall be computed on pre-tax base rate of maximum 15.5% to be grossed up as per the sub-clause (3) of this regulation.

(3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the normal tax rate for the financial year of the control period applicable to the CSPSOC.

Provided that return on equity with respect to the actual tax rate applicable to the CSPSOC in line with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during control period shall be trued up at the end of the control period.

(4) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:-

Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)

Where t is the applicable tax rate in accordance with sub clause (3).

13. Interest on loan capital:

(1) The loans determined in accordance with Regulation 8 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.

(2) The normative loan outstanding as on beginning of first Financial Year of the Control Period shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to last day of the previous Financial Year in respect to the first Financial Year of the control period from the gross normative loan.

(3) The repayment for respective year of the control period shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year.

(4) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each year applicable to the SLDC / CSPSOC:

Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered:

(5) The interest on loan shall be calculated on the normative loan of the year by applying the weighted average rate of interest.

(6) The CSPSOC shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the intra-State buyers and intra-State sellers and the net savings shall be shared between the intra-State buyers with intra-State sellers and the CSPSOC, as the case may be, in the ratio of 1:1. This provision shall be applicable only to those intra-State entities who are availing long-term services of SLDC.

(7) The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.

(8) In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time, including statutory re-enactment thereof for settlement of the dispute:

Provided that the intra-State entity shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the intra-State buyers and intra-State sellers and the CSPSOC during the pendency of any dispute arising out of refinancing of loan.

14. Depreciation:

(1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission.

(2) The salvage value of the asset (excluding IT equipments and Software's) shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipments and Software's shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable.

(3) Land shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the capital cost of the asset.

(4) Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates specified in Appendix-**I** to these regulations for the assets of the SLDC. The depreciation rates as specified by Central Commission from time to time will be made applicable.

(5) Assets fully depreciated shall be shown separately.

(6) Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.

(7) The balance depreciable value as on the date of transfer shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the books of accounts of the CSPSOC for the SLDC as on the date of transfer.

15. Operation and Maintenance Expenses (excluding human resource expenses):

(1) Operation and maintenance expenses (excluding human resource expenses) shall be derived on the basis of actual operation and maintenance expenses for the years 2005-06 to 2009-10, based on the audited/unaudited balance sheets. The O&M expenses shall be normalized by excluding abnormal operation and maintenance expenses, donation, loss-in-stock, prior-period adjustments, claims and advances written off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission.

(2) The normalized operation and maintenance expenses, after prudence check, for the years 2005-06 to 2009-10 shall form the basis to arrive at the operation and maintenance expenses for the base year 2010-11. The normalized O&M expenses for the base year will be used for projecting the expenses for each year of the control period.

(3) The operation and maintenance expenses for the year 2010-11 shall be escalated at the rate of 5.72% per annum to arrive at permissible operation and maintenance expenses for the subsequent each year of the control period.

(4) The O&M expenses for the subsequent control periods shall be computed on above specified principle and methodology.

16. Human Resource Expenses:

(1) Human resource expenses shall be derived on the basis of actual human resource expenses for the years 2005-06 to 2009-10, based on the audited / unaudited balance sheets. The human resource expenses shall be normalized by excluding abnormal Human resource expenses, ex-gratia, VRS expenses,

prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission.

(2) The normalized human resources expenses, after prudence check, for the years 2005-06 to 2009-10 shall form the basis to arrive at the HR expenses for the base year 2010-11. Provision for wage revision, if any, shall also be considered for arriving at HR expenses for the base year 2010-11. The normalized HR expenses for the base year will be used for projecting the expenses for each year of the control period

(3) The human resource expenses for the year 2010-11 shall be escalated further at the rate of 5.72% per annum to arrive at permissible human resource expenses for the subsequent years of the control period.

Provided that human resource expenses for the year 2011-12 shall be further rationalized considering reasonable increase in employee cost on account of pay revision of the employees.

(4) The Human Resource expenses for the subsequent control periods shall be computed on above specified principle and methodology.

17. Interest on Working Capital:

(1) The working capital shall cover:

(i) Operation and maintenance expenses excluding human resource expenses for one month;

(ii) Human resource expenses for one month;

(iii) Receivables equivalent to two months of the system operation charges and market operation charges as approved by the Commission.

(2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be equal to the short term Prime Lending Rate of State Bank of India as on the first day of the first Financial Year of the Control Period.

(3) Interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the CSPSOC has not taken any loan for working capital from any outside agency.

CHAPTER –4

LEVY AND COLLECTION OF FEES AND CHARGES

18. Collection:

(1) CSPSOC shall collect the fees and charges, as determined under these regulations.

(2) CSPSOC shall be entitled to levy and collect registration fees from the intra-State users (other than bulk consumers and captive users) and charges from the intra-State buyer, intra-State sellers and intra-Sate entities as specified in these regulations. Registration fees shall not be levied and collected from those to whom these regulations do not apply as per regulation 2(2).

(3) CSPSOC shall be entitled to levy and collect fees and charges for any other services rendered to the intra-State users, intra-State entity, intra-State buyers and intra-State sellers and power exchanges as specified in any other regulations.

19. Allocation and apportionment of components of annual charges to system operation function and market operation function:

(1) Annual charges towards State system operation function shall comprise 80% of the annual charges.

(2) Annual charges towards intra-State market operation function shall comprise the balance 20 % of annual charges.

(3) The ratio of allocation of annual charges to system operation charges and market operation charges may be reviewed and decided by the Commission from time to time.

20. Determination of System Operation Charges (SOC) and Market Operation Charges (MOC):

System operation charges and market operation charges as specified in Regulation 19 of these regulations shall be determined by adding up the allocated and/or apportioned amount of various components of the annual charges.

21. Collection of SOC:

(1) The System operation charges shall be collected as per the norms given below:-

(i) Intra state transmission licensee(s) (other then STU): 10% of system operation charges;

(ii) Intra-State sellers (excluding renewable energy based power generating plant): 45% of system operation charges;

(iii) Intra-State buyers (excluding bulk consumers and captive users): 45% of system operation charges

Provided that if intra state transmission licensee(s) (other then STU) is not availing the services of SLDC, the system operation charges shall be collected from the intra-State buyers and intra-State sellers as per the norms given below:-

(i) Intra-State sellers (excluding renewable energy based power generating plant):50% of system operation charges;

(ii) Intra-State buyers (excluding bulk consumers and captive users):50% of system operation charges.

(2) The system operation charges shall be levied on the intra- state transmission licensees (other then STU) on the basis of the ckt.-km of the lines owned by them as on the last day of the month prior to billing of the month.

(3) The system operation charges from the intra-State sellers shall be collected in proportion to their contracted capacity, for use of state transmission system.

(4) The system operation charges from the intra-State buyers shall be collected in proportion to their contracted capacities, for use of state transmission system.

Note: The above provisions shall not be applicable to the renewable energy based power generating plant, bulk consumers and captive users. Further, these charges shall also not be applicable to the other intra-State buyers and intra-State sellers for the quantum of power procuring or selling power through the short-term open access route.

22. Collection of Market Operation Charges: The market operation charges shall be collected equally from all the intra-State sellers and intra-State buyers irrespective of their contracted capacity.

Note: The above provisions shall not be applicable to the renewable energy based power generating plant, bulk consumers, captive users. Further this charge shall also not be applicable to the other intra-State buyers and intra-State sellers procuring or selling power through the short-term open access route only. Provided that if the intra-state seller is a generating company, it shall pay the charges generating station wise.

23. (1) The fee and charges for all the other open access customers (intra-State buyers and intra-State sellers) not covered above shall be as per the fee and charges as specified by Central Commission from time to time (i.e. for intra-State entity availing short-term inter-State open access).

(2) 50% of such charges collected from short-term open access customers shall be retained by the SLDC and deposited in SLDC Development Fund. SLDC shall maintain separate account for the revenue earned from short-term open access customers. The balance 50% shall be adjusted towards the charges payable by intra-State buyers, intra-State sellers and intra-state entities availing long-term and medium-term services of SLDC.

24. Registration fees:

(1) All intra-Sate users (excluding bulk consumer and captive users) intending to get connected to the intra-state transmission system or distribution system shall register themselves with the SLDC by filing application in the format specified as Appendix-II to these Regulations.

(2) The application for registration for power generating station (including captive generating plant) shall be accompanied by fees of Rs 10 lakhs for installed capacity of 50 MW and above or Rs 5 lakhs for installed capacity below 50MW.

Provided that renewable energy based power generating company shall be required to register their power generating stations with SLDC on payment of Rs. 2 lakhs, (irrespective of the installed capacity). The renewable energy based power generating company shall have to submit a certificate of eligibility as a renewable energy generating plant duly certified by the State Nodal agency i.e. Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency (CREDA).

(3) The registration fees for licensee(s) and intra-State entities availing services of SLDC shall be Rs. 10 lakhs. Existing licensee(s) and intra-State entities shall pay the registration fees within two months of coming into force of these regulations.

(4) The existing generating station (including captive generating plant) connected to the intra-state transmission system or distribution system shall register themselves with the SLDC by filing an application along with the fees of Rs. 10 lakhs for installed capacity of 50 MW and above or Rs. 5 lakhs for installed capacity below 50 MW within two months of coming into force of these regulations.

(5) The existing renewable energy based power generating company shall be required to register their power generating stations with SLDC on payment of Rs.2 lakhs, (irrespective of the installed capacity) within two months of coming into force of these regulations. The existing renewable energy based generating company shall have to submit latest certificate of eligibility as a renewable energy power generating plant duly certified by the CREDA.

(6) In case of default in payment of registration fees by the existing intra-State users or an intra-state entity or power generating plant (including captive generating plant) the SLDC may approach the Commission.

(7) The SLDC, after scrutinizing application and after being satisfied with correctness of the information furnished in the application shall register the applicant in its register duly intimating the applicant about its acceptance.

(8) The registration fees once paid will not be refunded. In case the generating company increases its capacity from less than 50 MW to 50 MW & above, difference Rs. 5 lakh shall be payable

(9) SLDC shall maintain a list of registered intra-State users on its website. The SLDC shall file consolidated information about the Generating Companies and Licensees connected to the intra-State transmission network and distribution network and being monitored / serviced by it, to the Commission every year by end of April every year.

(10) The SLDC shall intimate the applicant the valid reasons regarding refusal of registration / renewal of registration in case of increase / decrease in contracted / installed capacity, within 30 days of submission of the application.

Note: All intra-State users (except the bulk consumers and captive users) shall be required to register at SLDC. These shall be generating stations, captive generating plants, licensees directly connected to State grid and other intra-State entities.

CHAPTER – 5

BILLING AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

25. Billing and Payment of charges:

(1) Bills shall be raised for the system operation charge and market operation charge on monthly basis by the CSPSOC in accordance with these regulations, and payments shall be made by the respective intra-State entities directly to the CSPSOC.

(2) Persistent default in payment of SLDC fee and charges would be brought to the notice of the Commission.

26. Late payment surcharge: In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by an intra-State entity beyond a period of 30 days from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the system operator.

27. Rebate: For payment of bills through letter of credit on presentation, a rebate of 2% shall be allowed.

28. Power to Relax: The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such relaxation.

29. Savings:

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

Note- In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version or in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,
N. K. RUPWANI, Secretary.

Appendix-I

Depreciation Schedule

Sl. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate
		SLM
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land Under Lease	
A	For investment in the land	3.34%
B	For cost of clearing the site	3.34%
C	Other Assets	
A	Building & Civil Engineering works	
(i)	Offices and residential	1.63%
(ii)	Containing plant and equipments	3.34%
(iii)	Temporary erections such as wooden structures	3.34%
(iv)	Roads other than Kutcha roads	100.00%
(v)	Others	1.63%
B	Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundation)	
(i)	Transformers including foundations having rating of 100 KVA and above	5.28%
(ii)	Others	5.28%
C	Switchgear including cable connections	5.28%
D	Lightning arrestor	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%
E	Batteries	5.28%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
(ii)	Cable duct system	[illegible].34%
F	Overhead lines including cable support systems	
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 KV	[illegible]34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 KV but not exceeding 66 KV	[illegible].28%
(iii)	Lines on steel on reinforced concrete support	[illegible].28%
(iv)	Lines on treated wood support	5.28%
g	Meters	5.28%
h	Self propelled vehicles	9.50%

i	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
j(i)	Office furniture and furnishing	6.33%
(ii)	Office equipment	6.33%
(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
(iv)	Street Light fittings	5.28%
k	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
l	Communication equipment	6.33%
(i)	Radio and high frequency carrier system	6.33%
(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%
m	I.T. equipments	15.00%
n	Softwares	30.00%
o	Any other assets not covered above	5.28%

Appendix-II
(in Compliance Regulation-24)

1. **Name of the entity (in bold letters):**
2. **Registered office address:**
3. **Area in which registration is sought:**
4. **Intra-State User category:**
   (i) Generating Station
   (ii) Captive generating plant
   (iii) Renewable generating plant
   (iv) Distribution licensee
   (v) Transmission licensee

5. **Intra-State User details (as on 31st March of last financial year for existing user and for subsequent change, if any.):**
   i. Category – Generating Station/Renewable generating plant/Captive generating plant
   a. Total Installed Capacity:
   b. Maximum Contracted Capacity (MW) for using intra-State transmission system:
   c. Purpose of inter-connection with State grid(please appropriate option)
   (i)For supply to State distribution licensee(long-term or medium-term or short-term)
   (ii) For supply to captive use(long-term or medium-term or short-term)
   (iii)For supply to bulk consumers(long-term or medium-term or short-term)
   (iv)For supply to other than the above(long-term or medium-term or short-term)

   d.. Details of Connection to the intra-State transmission system:

Sl.No.	(i) Name of EHV S/s.	(ii) Voltage level (KV)	(iii) Whether Special Energy Meters (Main) installed at this location

ii. Category – Transmission Licensee (intra – State)

a. Sub-stations:

Sl.No.	Sub-station Name	Number of transformer	Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity if switching station

b. Transmission lines:

Sl.No.	Voltage level (KV)	Number of Transmission lines	Total Circuit-Kilometers

6. Contact person(s) details for matters related to SLDC
   i. Name:
   ii. Designation:
   iii. Landline Telephone No.:
   iv. Mobile No.:
   v. E-mail address:
   vi. Postal address:

The above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Authorized Representative

Place:
Date

Name :
Designation :
Contact number :

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.